न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 29/23 सन् 2023

GCMS NO-2023/196

बउनवानीः– 1. रामेश्वर पुत्र स्व. श्री शंकर लाल गुर्जर निवासी ग्राम व तह0 चौथ का बरवाडा

बनाम

2. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 316/2023 निर्णय दिनांक 19.10.2023 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :– 1. श्री बालकृष्ण उपाध्याय — वकील अपीलान्ट

2. श्री विनोद कुमार शर्मा — नायब तहसीलदार (पैरोकार)

–: निर्णय :– दिनांक 22.05.2024

अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 316/2023 में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2023 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरूद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल किया जाकर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया एंव विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2080 (खरीफ) मे वाके ग्राम चौथ का बरवाडा बी तहसील चौथ का बरवाडा की भूमि आराजी ख0न0 2623 रकबा 0.70 है0, पर जोत लगाकर अतिक्रमण करने के आशय की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, विवादित भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्ट का अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर सम्यक जॉच नही की गयी एवं पटवार हल्का द्वारा रंजिशवश प्रस्तुत गलत व झूँठी रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। यह कथन भी किया कि अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्ट द्वारा दिनांक 19.10.203 को ही साफ बता दिया था कि अपीलान्ट ने पूर्व मे ही कब्जा हटा लिया है तथा यह तर्क भी दिया कि ख0न0 2623 के सटवा ख0न0 2622 रकबा 0.84 के अन्य सह खातेदार है तथा उक्त ख0न0 का विभाजन नही हुआ है इसलिए पटवारी हल्का द्वारा मुझ अकेले अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना भी न्यायसंगत नही है। मुझ अपीलान्ट का मौके पर कब्जा नही होने बाबत दिये गये जवाब को [illegible] अंदाज किया गया है। यह तर्क भी दिया कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट पश्चातवर्ती [illegible] तारीफ में नही आता है क्योकि पूर्व मे पारित निर्णय के क्रियान्वयन में [illegible] द्वारा मौके पर से भौतिक रूप से बेदखल नही किया है। आदेश [illegible] समाचार पत्र के माध्यम [illegible] होने पर दिनांक 14.12.2023 को होने पर जानकारी से अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के [illegible] के साथ पेश की गयी है। अतः आदेश जैर अपील खारिज [illegible] या जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:08:44 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट की सुनवायी का जहॉ तक प्रश्न है तो पत्रावली में विपक्षी को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्ट के नोटिस की अपीलान्ट के पुत्र से करवायी गई तामील से हो जाती है, क्योकि नोटिस की पालना में अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 19.10.2023 को स्वंय उपस्थित होकर विवादित भूमि ख0न02623 रकबा 0.70 है0 पर से पूर्व मे ही कब्जा हटा लेने के संबंध में लिखित जवाब पेश किया गया है। जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का से करवायी जाने पर पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट दिनांक 19.10.2023 के अनुसार उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा यथावत पाया गया है। इसके पश्चात न्यायालय हाजा द्वारा तलब की गयी मौका रिपोर्ट दिनांक 23.1.2024 मे अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि ख0न0 2623 रकबा 0.70है0 पर सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिये जाने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि पर अभी तक भी अतिक्रमण नही हटाया है। अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अपना अतिक्रमण नही होने बाबत ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नही किया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे कोई विधिक त्रुटि नही होने के कारण आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पेरौकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया ।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 19.10.2023 को न्यायालय मे उपस्थित होकर विवादित भूमि पर से पूर्व मे ही कब्जा हटा लेने बाबत प्रस्तुत जवाब से हो जाती है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के पैरा 2 मे यह अंकित किया हैकि " **सुनवायी दिनांक को अतिक्रमी ने उपस्थित न्यायालय होकर अतिक्रमण होना स्वीकार किया एवं अतिक्रमण हटाने हेतु 7 दिवस का समय दिया गया।**" इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफ तो सात दिवस मे कब्जा हटाने का समय दिया जा रहा है तथा दुसरी ओर उसी दिनांक 19.10.2023 को 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जा रहा है। यद्यपि यहॉ अपीलान्ट द्वारा भी अतिक्रमण हटाने का झूंठा जवाब प्रस्तुत किया गया है किन्तु न्यायालय द्वारा कब्जा हटाने बाबत दिये गये 7 दिवस का समय भी नही दिया गया है। उपरोक्त विवेचन से यह पाया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं अतिक्रमण हटाने हेतु समुचित अवसर नही दिया है ओर ना ही पत्रावली में सम्पूर्ण दस्तावेज हमफीता किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को पुनः सुनवायी हेतु भिजवाया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर आदेश जैर अपील सजा की सीमा तक निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट को युक्तियुक्त सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण, बेदखली,फसल कुर्की, पूर्व मे पारित निर्णय, पटवारी बयान इत्यादि दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रदर्श करते करे एवं अपीलान्ट द्वारा वर्तमान में विवादित भूमि पर से कब्जा हटाने अथवा नही हटाने की पुष्टि करते हुए पुनः गुणावगुण के आधार पर विधिवत निर्णय पारित करे। अपीलान्ट 30 दिवस के अन्दर अपना पक्ष रखने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.5.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:08:44 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner